भारत सरकार
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय
कृषि एवं किसान कल्याण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 1362

11 फरवरी, 2025 को उत्तरार्थ

विषय: जैविक कृषि के लाभ

1362. श्री श्रीरंग अप्पा चंदू बारणे:

क्या **कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार इस मत से सहमत है कि रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों के जैविक विकल्प देश में किसानों को लाभ पहुंचाने के अतिरिक्त मिट्टी, मानव और धरती के स्वास्थ्य में सुधार कर सकते हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार किसानों को ऑफ-फार्म जैविक इनपुट की खरीद के लिए सब्सिडी प्रदान कर रही है;

(घ) यदि हां, तो विगत तीन वर्षों में प्रदान की गई सब्सिडी संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार ने देश में उक्त विकल्पों के विकास और प्रचार के लिए कदम उठाए हैं;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा और इस संबंध में प्राप्त परिणाम क्या हैं; और

(छ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री (श्री रामनाथ ठाकुर)

(क) से (छ): इस बात पर सहमति है कि रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों के जैविक विकल्प से किसानों को लाभ होने के अलावा मृदा, मानव और ग्रह के स्वास्थ्य में भी सुधार हो सकता है।

जैव-उर्वरकों के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर) ने 'मृदा जैव विविधता-जैव-उर्वरक' पर नेटवर्क परियोजना के अंतर्गत विभिन्न फसलों और मृदा प्रकारों के लिए विशिष्ट जैव-उर्वरकों की उन्नत और कुशल किस्में विकसित की हैं। इस परियोजना के तहत आईसीएआर ने विभिन्न फसलों और मृदा के प्रकारों के लिए विशिष्ट जैव-उर्वरक के उन्नत और कुशल उपभेदों, उच्च शेल्फ लाइफ के साथ तरल जैव-उर्वरक प्रौद्योगिकी, दो या अधिक जैव-उर्वरक उपभेदों के साथ जैव-उर्वरक संघ निर्माण, सूक्ष्मजीव समृद्ध जैव-खाद और जिंक और पोटेशियम घुलनशील जैव-उर्वरक विकसित किए हैं। आईसीएआर किसानों को जैव-उर्वरकों के उपयोग के बारे में शिक्षित करने के लिए प्रशिक्षण भी देता है।

देश में जैविक उर्वरकों के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए, सरकार सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों (पूर्वोत्तर राज्यों को छोड़कर) में परम्परागत कृषि विकास योजना (पीकेवीवाई) के माध्यम से जैविक खेती को बढ़ावा दे रही है। पूर्वोत्तर राज्यों के लिए, मिशन ऑर्गेनिक वैल्यू चेन डेवलपमेंट फॉर नॉर्थ ईस्टर्न रीजन (एमओवीसीडीएनईआर) योजना कार्यान्वित की जा रही है। दोनों ही योजनाओं में जैविक खेती में लगे किसानों को उत्पादन से लेकर प्रसंस्करण, प्रमाणन और विपणन तथा कटाई के बाद प्रबंधन प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण तक सभी तरह की सहायता देने पर जोर दिया गया है।

पीकेवीवाई के तहत जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए तीन साल की अवधि के लिए 31,500 रुपये प्रति हेक्टेयर की सहायता प्रदान की जाती है। इसमें से किसानों को तीन साल की अवधि के लिए 15,000/- रुपये प्रति हेक्टेयर की सहायता प्रत्यक्ष लाभ अंतरण के माध्यम से ऑन-फार्म/ऑफ-फार्म जैविक इनपुट के लिए प्रदान की जाती है।एमओवीसीडीएनईआर के तहत, किसान उत्पादक संगठन के निर्माण, जैविक आदानों के लिए किसानों को समर्थन आदि के लिए 3 वर्षों के लिए 46,500/- रुपये प्रति हेक्टेयर की सहायता प्रदान की जाती है। इसमें से, इस योजना के तहत किसानों को 3 वर्षों के लिए 32500/- रुपये प्रति हेक्टेयर की दर से सहायता प्रदान की जाती है, जिसमें किसानों को प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण के रूप में 15,000/- रुपये शामिल हैं। पिछले तीन वर्षों की अवधि के दौरान कृषि से इतर और कृषि पर आधारित जैविक आदानों की खरीद के लिए सहायता सहित वर्ष-वार जारी की गई धनराशि निम्नानुसार है:

रूपये करोड़ में

वर्ष	पीकेवीवाई	एमओवीसीडीएनईआर
2021-22	88.58	133.29
2022-23	188.78	144.42
2023-24	206.39	230.67

जैव-उर्वरकों, कार्बनिक उर्वरकों और बायोस्टिमुलेंट्स की अच्छी गुणवत्ता की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए, भारत सरकार उर्वरक नियंत्रण आदेश (1985) के तहत इसकी गुणवत्ता को विनियमित करती है।

सरकार, जल शक्ति मंत्रालय, पेयजल एवं स्वच्छता विभाग की गैल्वनाइजिंग ऑर्गेनिक बायो एग्रो रिसोर्सेज धन (गोबरधन) योजना के तहत संयंत्रों में उत्पादित जैविक उर्वरकों, जैसे कि किण्वित जैविक खाद/तरल किण्वित जैविक खाद/फॉस्फेट युक्त जैविक खाद को बढ़ावा देने के लिए 1500/- रुपये प्रति मीट्रिक टन की दर से बाजार विकास सहायता (एमडीए) को कार्यान्वित कर रही है।

मृदा की सेहत और उर्वरता तथा सतत उत्पादकता में सुधार के लिए उर्वरकों की कुल खपत को कम करने के लिए किसानों को प्रोत्साहित करने के लिए, "धरती माता की पुनर्स्थापना, जागरूकता, पोषण और सुधार के लिए प्रधानमंत्री कार्यक्रम (पीएम-प्रणाम)" राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को वैकल्पिक उर्वरकों और रासायनिक उर्वरकों के संतुलित उपयोग को बढ़ावा देने के लिए प्रोत्साहित करता है। इस कार्यक्रम के तहत, सब्सिडी की बचत का 50% उस राज्य को अनुदान के रूप में दिया जाएगा जो रासायनिक उर्वरकों का उपयोग कम करेगा।

राष्ट्रीय जैविक एवं प्राकृतिक खेती केंद्र (एनसीओएनएफ) तथा गाजियाबाद, नागपुर, बैंगलोर, इम्फाल और भुवनेश्वर में स्थित इसके क्षेत्रीय जैविक एवं प्राकृतिक खेती केंद्र (आरसीओएनएफ) जैविक एवं प्राकृतिक खेती पर विभिन्न प्रशिक्षण और ऑनलाइन जागरूकता अभियान आयोजित करते हैं। आईसीएआर कृषि विज्ञान केंद्रों के नेटवर्क के माध्यम से किसानों को जैविक खेती के बारे में शिक्षित करने के लिए प्रशिक्षण, अग्रिम पंक्ति प्रदर्शन, जागरूकता कार्यक्रम आदि भी आयोजित करता है।

*****